

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
करौली

विषय :- संपर्क सड़क कोटा से पाटोर किलोमीटर 0/0 से 3/000 के फोरेस्ट क्लियरेंस प्रस्ताव संख्या: FP/RJ/ROAD/35272/2018 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका कार्यालय पत्रांक एफ () वसु/उवसं/2022-23/708 दिनांक: 31.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कोटा से पाटोर सड़क के फोरेस्ट क्लियरेंस प्रस्ताव संख्या: **FP/RJ/ROAD/35272/2018** का आप द्वारा अवलोकन किया जाने के उपरांत आप द्वारा उक्त प्रस्ताव में निम्न कमियाँ बताई गई जिनकी पूर्ति कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र.सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या K (a) में FRA हेतु Undertaking Certificate संलग्न किया गया है, जिसमें आपके द्वारा FRA Certificate हेतु Apply किया होना बताया गया है। अतः FRA Certificate Apply किये गए पत्र की प्रति संलग्न की जानी है।	FRA हेतु Undertaking Certificate संलग्न किया गया है Stage-I तक Undertaking मान्य हैं।
2	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या L (i) Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है, एवं प्रत्यावर्तन के बदले गैर वन भूमि आवंटित की जानी है, ताकि उस पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित की जा सके।	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या L (i) Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है जो सही है। क्योंकि be Area less than 1.0 ha. है।
3	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या L (ii) Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है।	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या L (ii) Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है जो सही है। क्योंकि be Area less than 1.0 ha. यह General Approval category में आता है।
4	प्रस्ताव के पार्ट-1 के बिन्दु संख्या L (iii) Reason for not providing Non-forest Land में Not Applicable हेतु लिखा हुआ है, जिसे Yes किया जाना है, यदि नहीं तो गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं करने का कारण स्पष्ट किया जावे।	Area less than 1.0 ha. यह General Approval category में आता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


अधिशायी अभियन्ता
स० नि० वि० खण्ड-सपोटरा
जिला-करौली
 भवदीय